

भारत सरकार
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या : 3801
उत्तर देने की तारीख: 18.12.2024

पीएम विकास योजना

3801. श्री अरुण भारती:

क्या अल्पसंख्यक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन (पीएम विकास) योजना के अंतर्गत नेतृत्व और उद्यमिता घटक को सक्रिय रूप से चला रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) महिला अल्पसंख्यकों के लिए नेतृत्व प्रशिक्षण और उद्यमिता प्रशिक्षण हेतु आज तक कितने प्रशिक्षण आयोजित किए गए हैं;
- (ग) इस घटक के अंतर्गत लाभान्वित अल्पसंख्यक वर्गों का ब्यौरा क्या है और किस वर्ग की प्रतिशत में अधिक भागीदारी है; और
- (घ) क्या सरकार की भविष्य में इस योजना के प्रभाव को बढ़ाने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री

(श्री किरेन रिजिजू)

(क) और (घ): प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन (पीएम विकास) मंत्रालय की एक प्रमुख योजना है, जो पांच पूर्ववर्ती योजनाओं अर्थात् 'सीखो और कमाओ', 'नई मंजिल', 'नई रोशनी', 'हमारी धरोहर' और 'उस्ताद' को समायोजित करती है; तथा कौशल विकास, अल्पसंख्यक महिलाओं की उद्यमशीलता और नेतृत्व; तथा स्कूल ड्रॉपआउट छात्रों के लिए शिक्षा सहायता के माध्यम से अधिसूचित छह अल्पसंख्यक समुदायों के उत्थान पर केंद्रित है।

इसके अतिरिक्त, यह योजना लाभार्थियों को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमडीएफसी) द्वारा प्रस्तावित ऋण कार्यक्रमों से जोड़कर ऋण लिंकेज की सुविधा प्रदान करेगी। लाभार्थियों को उनकी आजीविका बढ़ाने के लिए ईपीसीएच (हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद) के माध्यम से बाजार लिंकेज के लिए भी सहायता प्रदान की जाएगी। मंत्रालय ने अभी तक पीएम विकास योजना को लागू नहीं किया है। पूर्ववर्ती समायोजित योजनाओं से मिली सीख के आधार पर, मंत्रालय ने कार्यक्रम के प्रभाव को बढ़ाने के लिए कार्यान्वयन रणनीति को अद्यतन किया है।

(ख) और (ग): 2012-13 में शुरू की गई नई रोशनी योजना, एक नेतृत्व विकास कार्यक्रम है, जिसके तहत 4.35 लाख से अधिक लाभार्थियों को सरकारी तंत्र, बैंकों और सभी स्तरों पर अन्य संस्थानों के साथ संपर्क स्थापित करने के लिए ज्ञान, साधन और तकनीक प्रदान करके उनमें आत्मविश्वास पैदा करके सशक्त बनाया गया है। 2015-16 से अब तक लाभार्थियों का समुदाय-वार विवरण इस प्रकार है:

नई रोशनी योजना के अंतर्गत समुदायवार लाभार्थी							
समुदायवार लाभार्थी	मुस्लिम	ईसाई	सिख	बौद्ध	पारसी	जैन	अन्य

संख्या	222062	7280	3779	1580	5	1254	8381
प्रतिशत	90.88	2.98	1.55	0.65	0.00	0.51	3.43
